

11/7/23

पत्रावली पेश हुई। वहील शाही उर्फ
पत्रावली चाली और वाकील उर्फ
उर्फ 23 मजस दी

Vaiy
सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

22/8/23

पत्रावली पेश हुई। चूकि वादपत्र
अदम परवी व अदम हाजिरी में
खारिज हो चुका है इसीलिए
पत्रावली पत्र 212 RTA को चलाने
का कोई औचित्य नहीं है। अतः
पत्रावली पत्र 212 RTA खारिज किया
जाता है। पत्रावली के सब शुमार
होकर नम्बर से कम हो बाब
तकमील दाखिल रफतार हो।

Vaiy
सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

